पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1254
दिनांक-24.07.2026

जोन- मध्य / थाना- आलमबाग

- **थाना आलमबाग पुलिस द्वारा चोरी की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण, नामजद महिला अभियुक्ता गिरफ्तार।**
- **चोरी किये गए समस्त कीमती करीब 10 लाख के आभूषण बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.07.2026 को वादी नितिन नैय्यर पुत्र श्री ओंकार नाथ नैय्यर, निवासी 91/1 चंदर नगर, थाना आलमबाग, लखनऊ द्वारा थाना आलमबाग पर सूचना दी गई कि दिनांक 22.07.2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर की अलमारी का लॉक तोड़कर सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। वादी द्वारा घर पर खाना बनाने का कार्य करने वाली **रिंकी पत्नी रामू धानू** पर संदेह व्यक्त किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आलमबाग पर **मु०अ०सं० 100/2026**, धारा **305(ए), 306, 331(3) बीएनएस** बनाम रिंकी पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

02-कार्यवाही –

थाना आलमबाग के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम के द्वारा विवेचना के क्रम में दिनांक 24.07.2026 को थाना आलमबाग पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों एवं पूछताछ तथा सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर नामजद महिला अभियुक्ता रिंकी पत्नी रामू धानू, निवासी शिवाजी मेडिकल, मोहल्ला जयप्रकाश नगर चौराहा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ उम्र करीब 39 वर्ष को उसके आवास से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्ता ने स्वीकार किया कि वह वादी के घर पर खाना बनाने का कार्य करती थी। घर में आने-जाने के दौरान उसने घर की गतिविधियों एवं आभूषण रखने के स्थान की जानकारी प्राप्त कर ली थी। दिनांक 22.07.2026 को जब घर के सदस्य घर पर नही थे। तब अवसर पाकर उसने घर की अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे आभूषण चोरी कर लिए तथा उन्हें अपने घर में छिपाकर रख लिया।

अभियुक्ता की निशानदेही पर उसके घर से चोरी गए समस्त पीली धातु के आभूषण बरामद किए गए। बरामदगी की कार्यवाही नियमानुसार पुलिस टीम एवं महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में की गई तथा संपूर्ण बरामदगी की वीडियोग्राफी कराई गई। चोरी का माल अभियुक्ता के कब्जे से बरामद होने पर अभियोग में **धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।**

अभियुक्ता को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग एवं बीएनएसएस के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

03-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. रिंकी पत्नी रामू धानू निवासी शिवाजी मेडिकल, मोहल्ला जयप्रकाश नगर चौराहा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ उम्र करीब 39 वर्ष

04-पंजीकृत / अनावरित अभियोग-

1- मु०अ०सं० 100/2026, धारा **305(ए), 306, 331(3) बीएनएस (धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी)** थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ

05-बरामद माल का विवरण-

- 01 अदद हार पीली धातु
- 02 अदद कान के झुमके
- 02 अदद हाथ के कंगन
- 01 अदद जेन्ट्स चेन
- 02 अदद लंबे कान के टप्स
- 01 अदद मंगलसूत्र
- 02 अदद छोटे कान के टप्स

बरामद समस्त पीली धातु आभूषण (पूर्ण बरामद) कीमत लगभग 10 लाख रु0

06-पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अमरपाल अग्निहोत्री थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री उमेश कुमार मौर्य थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 सेठपाल सिंह थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ
4. म0का0 रागिनी प्रजापति थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ
5. म0का0 काजल शुक्ला थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ
6. का0 प्रदीप कुमार शाह थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0 -1260
दिनांक 24.07.2026

जोन – मध्य / थाना – हुसैनगंज

- **थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व धमकी देने का आरोपी 01 अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।**

01- कार्यवाही -

थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0126/2026 धारा 64(1)/351(3) बी0एन0एस0 व 5(J)(2)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त अजमेर खान उर्फ राजू पुत्र मो0 अशरफ निवासी रामपुर नहर किनारा पुराना किला थाना हुसैनगंज लखनऊ मूलपता- ग्राम शुक्लापुर मजरे फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 46 वर्ष को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

02- संक्षिप्त विवरण -

थाना हुसैनगंज पर शिकायतकर्ता / वादिनी के द्वारा यह सूचना दी गयी कि प्रतिवादी अजमेर उर्फ राजू मिस्त्री द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब14 वर्ष के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने जिससे वादिनी की पुत्री के गर्भवती हो जाने व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज पर मु0अ0सं0 0126/2026 धारा 64(1)/351(3) बी0एन0एस0 व 5(J)(2)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ।

पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाई करते हुये 24 घण्टे के अन्दर मुखबिर की सूचना पर थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अजमेर खान उपरोक्त को रामपुर नहर किनारा पुराना किला से दिनांक 24.07.2026 गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03- पंजीकृत / अनावरित अभियोग -

1. मु0अ0सं0 0126/2026 धारा 64(1)/351(3) बी0एन0एस0 व 5(J)(2)/6 पॉक्सो एक्ट थाना हुसैनगंज लखनऊ।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजमेर खान उर्फ राजू पुत्र मो0 अशरफ निवासी रामपुर नहर किनारा पुराना किला थाना हुसैनगंज लखनऊ मूलपता - ग्राम शुक्लापुर मजरे फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 46 वर्ष।

05- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 सुनील कुमार मौर्य, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
3. का0 कुशल तोमर, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
4. का0 अजय कुमार, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
5. म0का0 सीमा यादव, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1257
दिनांक- 24.07.2026

जोन – मध्य / थाना – हुसैनगंज

- **थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में ट्विटर पर इलेक्ट्रानिक मीडिया का दुरूपयोग करके फर्जी पेपर लीक का भ्रामक वीडियों पोस्टर करने वाला व झांसा देकर रूपये ऐंठने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- कार्यवाही -

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0023/2026 धारा 318(4)/221/292 बी0एन0एस0 व 66(डी)आईटी एक्ट व 4/13(2), 8/13(4), 8/13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश–2024 से सम्बन्धित अभियुक्त विनित पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी 25/120 विशम्बर नगर रोहतक रोड थाना सिटी जनपद जींद हरियाणा उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

02- संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 12.03.2026 को निरीक्षक सतेन्द्र कुमार, प्रभारी मीडिया सेल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उ0नि0 नागरिक पुलिस की परीक्षा में ट्वीटर पर इलेक्ट्रानिक मीडिया का दुरूपयोग करके पेपर लीक का भ्रामक वीडियो पोस्ट करना व जानबुझकर भ्रम व आक्रोश फैलाना व परिक्षा की सुचिता को बाधित की जा रही है।

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0023/2026 धारा 318(4)/221/292 बी0एन0एस0 व 66(डी) आईटी एक्ट व 4/13(2), 8/13(4), 8/13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश - 2024 पंजीकृत हुआ।

थाना स्थानीय की पुलिस टीम सुरागरसी पतारसी व साक्ष्य संकलन मे मामूर थी कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि आप जिस आरोपी की तलाश कर रहे है वह आरोपी थाना हुसैनगंज के सामने जय नारायण रोड़ पर अपने परिजनों के साथ खड़ा है और मुकदमें के बारे में पता लगा रहा है यदि जल्दी किया जाए तो पक़ड़ा जा सकता है मुखबिर की इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियुक्त विनित पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी 25/120 विशम्बर नगर रोहतक रोड थाना सिटी जनपद जींद हरियाणा उम्र करीब 22 वर्ष को दिनांक 24.07.2026 जयनारायण रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही।

03- अनावरित अभियोग -

1. मु0अ0सं0 0023/2026 धारा 318(4)/221/292 बी0एन0एस0 व 66(डी) आईटी एक्ट व 4/13(2), 8/13(4), 8/13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश - 2024 थाना हुसैनगंज लखनऊ।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विनित पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी-25/120 विशम्बर नगर रोहतक रोड थाना सिटी जनपदजींद हरियाणा उम्र करीब 22 वर्ष

05- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
3. का0 राघवेन्द्र कुमार, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1259
दिनांक- 24.07.2026

जोन- उत्तरी / थाना माल

- **थाना माल पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0 05 जनपद उन्नाव द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद संख्या 786/2019 धारा 498ए/323 भादवि व 3 /4 डीपी एक्ट थाना औरास जनपद उन्नाव से सम्बन्धित वारण्टी बालेन्द्र पुत्र स्व0 महावीर नि0 ग्राम रामनगर थाना माल जनपद लखनऊ को मुखबिर खास की सूचना पर वारण्टी के घर ग्राम रामनगर माल से गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार वारण्टी का विवरण:

1- बालेन्द्र पुत्र स्व0 महावीर नि0 ग्राम रामनगर थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 32 वर्ष (मजदूरी)

03-संबन्धित वाद-

1- वाद संख्या 786/2019 धारा 498ए/323 भादवि व 3 /4 डीपी एक्ट थाना औरास जनपद उन्नाव)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना माल जनपद लखनऊ

1. उ0नि0 श्री नजमे हसन
2. उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह
3. म0उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1255

दिनांक-24.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस की कार्यवाही में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 07 शातिर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्र मोहनलालगंज में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 07 अभियुक्त/अभियुक्तागण को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.07.2026 को शिकायतकर्ता श्री अमित कुमार पुत्र सच्चिदानन्द, निवासी ग्राम भरसवा, पोस्ट बरवलिया, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा थाना मोहनलालगंज पर लिखित सूचना दी गई कि ग्राम के ही निवासी चन्द्रभान पुत्र नन्दकिशोर, आरती पत्नी चन्द्रभान, सीमा पत्नी मनोज, डेनियल पुत्र सुन्दरम, सुबला पत्नी डेनियल, शीला पत्नी अजय रावत एवं अजय रावत पुत्र स्व0 मेढेलाल द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने एवं बार-बार चर्च चलने हेतु प्रेरित किया जाता था कि धर्म परिवर्तन करने पर संतान प्राप्त होगी। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा धमकी दी गई कि वे किसी से नहीं डरते हैं और लोगों को तोड़कर उनका धर्म परिवर्तन कराते रहेंगे। दिनांक 23.07.2026 को पुनः उक्त सभी व्यक्ति ग्राम भरसवा में आए, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा विरोध किया गया। इस दौरान आरोपियों द्वारा पुनः आपत्तिजनक एवं धमकीपूर्ण व्यवहार किया गया। **उक्त सूचना के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 272/2026 धारा 3(1)/5(1)/11 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 352, 351(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।**

विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त आरोपीगण द्वारा पूर्व में भी ग्रामीणों को बीमारी के इलाज, आर्थिक सहायता, विवाह आदि के नाम पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन हेतु प्रेरित किया जाता रहा है। गवाहों के अनुसार आरोपीगण प्रायः रात्रि में चार पहिया वाहन से गांव में आकर बैठक करते हैं तथा योजनाबद्ध तरीके से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। एक गवाह द्वारा यह भी बताया गया कि उसे घुटनों के दर्द के उपचार के नाम पर चर्च ले जाया गया तथा बाद में पूर्ण रूप से ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके एवं आरोपियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आरोपीगण द्वारा सुनियोजित तरीके से प्रलोभन, कपटपूर्ण साधनों एवं मानसिक दबाव के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जाता है।

उक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था। दिनांक 23.07.2026 को पुलिस टीम द्वारा नामित अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। जिन्हे आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

03-पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में मुख्य अभियुक्त डैनियल ने बताया कि मेरा बचपन का नाम बाला सुब्रमण्यम था। 16 वर्ष की आयु में मेरी मुलाकात सुबला से हुई, जो कन्याकुमारी की थी और ईसाई धर्म को मानने वाली थी। सुबला से शादी करने के लिए मैने सुबला के कहने पर हिन्दु धर्म त्यागकर ईसाई धर्म अपनाकर शादी कर लिया। जिसके बाद FGPC चर्च कन्याकुमारी (तमिलनाडु) के आदेश पर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग 1998 में लखनऊ आये व मुझे वाराणसी सर्किल का पास्टर बनाया गया तथा FGPC चर्च द्वारा हम लोगों को साल का टारगेट दिया जाता हैं कि लोगों को बिमारी का इलाज कराने, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, डराकर व आर्थिक मदद करने आदि का लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराना हैं एवं अधिक से अधिक लोगो को भी जुडवाने का भी काम करना है ऐसा करने के लिए FGPC चर्च से हमें आर्थिक मदद भी मिलती हैं।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. डेनियल पुत्र सुन्दरम निवासी ग्राम हरिकंशगढी थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 58 वर्ष, (पूर्व पता-अरुप्पुकोट्टई जिला विरुधुनगर तमिलनाडु) बचपन का नाम- बाला सुब्रह्मण्यम।
2. सुबला पत्नी डेनियल निवासी ग्राम हरिकंशगढी थाना मोहनलालगंज लखनऊ, उम्र 51 वर्ष।
3. चन्द्रभान पुत्र नन्दकिशोर निवासी ग्राम भरसवा पो0 बरवलिया थाना मोहनलालगंज लखनऊ, उम्र 50 वर्ष।
4. आरती पत्नी चन्द्रभान ग्राम भरसवा पो0 बरवलिया थाना मोहनलालगंज लखनऊ, उम्र 40 वर्ष।
5. सीमा पत्नी मनोज ग्राम भरसवा पो0 बरवलिया थाना मोहनलालगंज लखनऊ, उम्र 35 वर्ष।
6. शीला पत्नी अजय रावत निवासी ठाकुरखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ, उम्र 39 वर्ष।
7. अजय रावत पुत्र स्व0 मेडीलाल निवासी ठाकुरखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ, उम्र 46 वर्ष।

05- बरामदगी-

- 01 अदद चार पहिया वाहन (बोलेरो)
- 01 अदद धार्मिक पुस्तक
- अन्य बुकलेट्स (धर्म परिवर्तन सम्बन्धित)
- विवाह विवरण पत्र
- बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति

06-पंजीकृत अभियोग—

1- मु0अ0सं0 272/26 धारा 3(1)/5(1)/11 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 352, 351(2) बीएनएस।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सौरभ सिंह
2. उ0नि0 श्री अरूण कुमार
3. का0 संदीप भाटी
4. म0का0 साध्वी पाल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0 - 1258
दिनांक- 24.07.2026

जोन- उत्तरी / थाना- रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टी / अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.07.2026 को थाना रहीमाबाद द्वारा 04 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार जिनका विवरण निम्न प्रकार से है-

1- **माननीय न्यायालय एसीजे (जेडी) लखनऊ कोर्ट नम्बर 34 द्वारा निर्गत वाद संख्या 1534/08, धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना मलिहाबाद तारीख पेशी 06.08.2026 से सम्बन्धित वारण्टी** मंशाराम पुत्र गया प्रसाद उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम बरगदी खड़ौहा थाना रहीमाबाद लखनऊ

2- **माननीय न्यायालय एसीजे (जेडी) कोर्ट नं0-34 लखनऊ द्वारा निर्गत केस नं0- 0098013/14, मु0अ0सं0-60/14, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मलिहाबाद तारीख पेशी 24.07.2026 से सम्बन्धित वारण्टी** गगन रावत पुत्र खगेश्वर रावत उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम रसूलाबाद थाना रहीमाबाद लखनऊ

3- **निर्गत वाद संख्या 32347/18 अ0सं0-492/17 धारा 323/504/506 भ0दा0वि0 से सम्बन्धित वारण्टी** राजू पुत्र महावीर उम्र करीब 46 वर्ष निवासी मुडियारा थाना रहीमाबाद लखनऊ

4- **माननीय न्यायालय अपर जिला जज कक्ष नं0- 10 लखनऊ द्वारा निर्गत वाद संख्या 810/23, मु0अ0सं0-519/2017, धारा 323/308 भा0द0वि0 थाना मलिहाबाद तारीख पेशी 25.07.2026 से सम्बन्धित वारण्टी** अच्छेलाल पुत्र गज्जन उम्र करीब 51 वर्ष निवासी ग्राम गौन्दा मुअज्जमनगर थाना रहीमाबाद लखनऊ के घर पर गिरफ्तारी हेतु दबिश देकर आज दिनांक 24.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

वारण्टीगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02.गिरफ्तार वारण्टी / अभियुक्तो विवरण:-

1. मंशाराम पुत्र गया प्रसाद उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम बरगदी खड़ौहा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
2. गगन रावत पुत्र खगेश्वर रावत उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम रसूलाबाद थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
3. राजू पुत्र महावीर उम्र करीब 46 वर्ष निवासी मुडियारा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
4. अच्छेलाल पुत्र गज्जन उम्र करीब 51 वर्ष निवासी ग्राम गौन्दा मुअज्जमनगर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

03.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री करन सिंह थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

2.उ0नि0 उमेश यादव थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

3.उ0नि0 उपेन्द्र यादव थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

4.उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

5.उ0नि0 उमाशंकर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

6.उ0नि0 अनिरूद्ध मिश्रा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

7.आरक्षी शीर्षपाल थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

8.आरक्षी ओमप्रकाश थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

9.आरक्षी मनोज सागर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1256
दिनांक-24.07.2026

क्राइम ब्रांच, लखनऊ

- **बंद दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **₹44,000 नकद सहित लाखों रुपये मूल्य का चोरी का माल, 04 चोरी की मोटरसाइकिलें एवं घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

बंद दुकानों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के प्रभावी अनावरण हेतु **क्राइम ब्रांच की SWAT टीम एवं थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा संयुक्त रूप** से की गई कार्रवाई में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 04 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ₹44,000 नकद, विभिन्न कंपनियों के बड़ी मात्रा में चोरी किए गए पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद, जनरेटर के पार्ट्स, कॉपर सामग्री, 04 चोरी की मोटरसाइकिलें, घटना में प्रयुक्त डाला वाहन तथा चोरी में प्रयुक्त कटर एवं अन्य औजार बरामद किए गए हैं। बरामद संपत्ति का संबंध जनपद लखनऊ एवं अन्य जनपदों में दर्ज कई चोरी की घटनाओं से स्थापित हुआ है। बरामदगी के आधार पर मुकदमें में आवश्यक धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई है।

02-घटना का अनावरण-

दिनांक 05.07.2026 को थाना मड़ियांव क्षेत्र में स्थित एक बंद दुकान का शटर तोड़कर चोरी किए जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु क्राइम ब्रांच SWAT टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण, तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण, मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार निगरानी की जा रही थी।

दिनांक 24.07.2026 को प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर कोयला ढलान क्षेत्र के पास घेराबंदी कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ एवं बरामदगी के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि अभियुक्तों द्वारा बरामद सामान विभिन्न चोरी की घटनाओं से संबंधित है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

03-अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे पहले बंद एवं सुनसान दुकानों की रेकी करते थे। इसके बाद रात्रि के समय शटर को कटर अथवा अन्य धारदार औजारों से काटकर दुकान के अंदर प्रवेश करते और नकदी, पान मसाला, तंबाकू, जनरेटर, मोटरसाइकिल तथा अन्य मूल्यवान सामान चोरी कर लेते थे।

चोरी किए गए सामान को अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर स्थानीय बाजार में कम कीमत पर बेच दिया जाता था। बिक्री से प्राप्त धनराशि को गिरोह के सदस्य आपस में बांटकर अपने व्यक्तिगत खर्च एवं शौक पूरे करने में उपयोग करते थे। पुलिस की पहचान से बचने के लिए गिरोह चोरी की मोटरसाइकिलों एवं अन्य वाहनों का उपयोग करता था तथा प्रत्येक घटना के बाद अपना ठिकाना बदल देता था।

04-मुख्य बरामदगी-

- ₹44,000 नकद
- विभिन्न कंपनियों के बड़ी मात्रा में पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद
- जनरेटर के विभिन्न पार्ट्स, ऑल्टरनेटर, इंजन, ऑयल टैंक, ट्रॉली एवं अन्य उपकरण
- कॉपर तार एवं अन्य धातु सामग्री
- 04 चोरी की मोटरसाइकिलें
- घटना में प्रयुक्त डाला वाहन
- चोरी में प्रयुक्त कटर एवं लोहे की रॉड

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सुनील कश्यप पुत्र छविनाथ कश्यप उम्र 30 वर्ष नि0 ग्राम झखरावां थाना सिधौली जनपद सीतापुर (व्यवसाय – चाट का ठेला)
2. आयुष चौधरी पुत्र स्व0दीपू उम्र- 20 वर्ष निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना सिधौली जनपद सीतापुर (व्यवसाय – फर्नीचर का काम)
3. अनूप मौर्या उर्फ मोनू पुत्र रामहर्ष मौर्या उम्र 21 वर्ष निवासी यश शर्मा के मकान में किराये पर निकट रामलीला मैदान खदरा थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ मूलपता शायपुर गौरिया थाना देवा जनपद बाराबंकी (व्यवसाय - मजदूरी)
4. मो0 हिसामुद्दीन उर्फ छोटू पुत्र श्री मुनव्वर अली उम्र 22 वर्ष नि0 हालपता लड्डन के मकान में किराये पर निकट राजू जनरल स्टोर खदरा थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ (व्यवसाय – POP का काम)

इन अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी चोरी एवं अन्य आपराधिक प्रकरण विभिन्न जनपदों में पंजीकृत पाए गए हैं। इनके विस्तृत आपराधिक इतिहास का सत्यापन किया जा रहा है तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं।

06-आगे की कार्रवाई-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बरामद संपत्ति के वास्तविक स्वामियों की पहचान कर नियमानुसार सुपुर्दगी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों एवं चोरी के माल की खरीद-फरोख्त में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

07-आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुनील कश्यप उपरोक्तः-

01. मु0अ0सं0 409/2025 धारा 305ए/317(2)/331(3) बीएनएस थाना सिधौली जनपद सीतापुर

08-आपराधिक इतिहास अभियुक्त आयुष चौधरी उपरोक्तः-

01. मु0अ0सं0 182/2023 धारा 323/342/354/504/506 भादवि थाना खैराबाद जनपद सीतापुर
02. मु0अ0सं0 261/2025 धारा 115(2)/126(2)/191(2)/351(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना सिधौली जनपद सीतापुर
03. मु0अ0सं0 409/2025 धारा 305ए/317(2)/331(3) बीएनएस थाना सिधौली जनपद सीतापुर

09-आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनूप मौर्या उर्फ मोनू उपरोक्तः-

01. मु0अ0सं0 331/2025 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना महानगर जनपद लखनऊ

10-आपराधिक इतिहास अभियुक्त मो0 हिसामुद्दीन उर्फ छोटू उपरोक्तः-

01. मु0अ0सं0 241/2025 धारा 305/317(2)/317(5)/331(4) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ

11- अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0स0 317/2026 धारा 331(4),305(ए) बी0एन0एस0 थाना मडियांव जनपद लखनऊ
2. मु0अ0स0 356/2026 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 थाना मडियांव जनपद लखनऊ
3. मु0अ0स0 345/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना मडियांव जनपद लखनऊ
4. मु0अ0स0 289/2026 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ
5. मु0अ0स0 477/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 478/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ
7. मु0अ0स0 222/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ
8. मु0अ0स0 288/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना सण्डीला जनपद हरदोई मे

☞ **श्रीमती किरन यादव, (I.P.S.) अपर पुलिस उपायुक्त अपराध द्वारा सामान्य जनमानस हेतु सलाह (Advice to General Public)**

- अपने प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं गोदामों को बंद करते समय उच्च गुणवत्ता वाले शटर लॉक एवं अतिरिक्त सुरक्षा लॉक का प्रयोग करें।
- दुकान के बाहर एवं अंदर उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे लगाएं तथा उनकी रिकॉर्डिंग नियमित रूप से जांचते रहें।
- दुकान बंद करने से पूर्व नकदी एवं अन्य मूल्यवान सामान दुकान में न छोड़ें।
- रात्रि के समय यदि किसी दुकान का शटर टूटा हुआ, संदिग्ध वाहन अथवा संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दें तो तत्काल 112 अथवा निकटतम पुलिस थाने को सूचना दें।
- बाजार समितियां एवं व्यापारी संगठन रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु आपसी समन्वय बनाए रखें।
- जनरेटर, मोटरसाइकिल एवं अन्य मूल्यवान उपकरणों पर विशिष्ट पहचान चिन्ह (Identification Marking) अंकित करें, जिससे चोरी होने पर उनकी पहचान एवं बरामदगी में सुविधा हो।
- प्रतिष्ठानों के आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता होने पर मोशन सेंसर लाइट अथवा अलार्म सिस्टम का उपयोग करें।
- चोरी की किसी भी घटना अथवा संदिग्ध गतिविधि की सूचना बिना विलंब पुलिस को दें। समय पर दी गई सूचना अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं चोरी की संपत्ति की बरामदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जारीकर्ता
अपर पुलिस उपायुक्त,अपराध कार्यालय
कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1261

दिनांक- 24.07.2026

संगोष्ठी सदन, रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में पुलिस कर्मियों को पीड़िताओ और बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार एवं प्रभावी संवाद कौशल का दिया गया प्रशिक्षण।

यह कार्यक्रम पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर महोदय के निर्देशन में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) **श्रीमती अपर्णा कुमार**, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार**, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) **श्री अमित कुमावत** एवं पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध व सुरक्षा) **श्रीमती ममता रानी चौधरी** के प्रभावी मार्गदर्शन कार्यशाला का सफल संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध) **सुश्री शाहिदा नसरीन** के पर्यवेक्षण में किया गया।

आज दिनांक 24.07.2026 को **संगोष्ठी सदन, रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ** में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में नियुक्त पुलिस कर्मियों को पीड़ितों के साथ संवेदनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, प्रभावी संवाद कौशल तथा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिस कर्मियों के कर्तव्यों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में **प्रशिक्षक सुश्री रिजवाना परवीन, डिविजनल कंसल्टेंट, यूनिसेफ ईवीएडब्ल्यूसीएच, लखनऊ डिवीजन** द्वारा पुलिस कर्मियों को पीड़ितों के प्रति संवेदनशील व्यवहार, प्रभावी संवाद कौशल एवं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिस की भूमिका के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण में पीड़ितों के साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार स्थापित करने पर दिया गया जोर

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि पुलिस कर्मियों का पीड़ितों के साथ प्रथम व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पीड़ित व्यक्ति प्रायः घटना के कारण भय, तनाव एवं मानसिक दबाव की स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति में पुलिस कर्मियों द्वारा धैर्य, संवेदनशीलता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाकर पीड़ित को सुरक्षित एवं सहज वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वह अपनी समस्या एवं घटना के संबंध में बिना किसी भय या तनाव के पुलिस को पूरी जानकारी दे सके।

पीड़िताओं एवं बच्चों को सहज एवं सुरक्षित महसूस कराने पर दिया गया जोर

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि पीड़िता अथवा बच्चा किसी घटना के उपरान्त भय, तनाव एवं मानसिक दबाव की स्थिति में हो सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ धैर्य, सहानुभूति एवं संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना आवश्यक है, जिससे उन्हें सुरक्षित एवं सहज वातावरण प्राप्त हो सके।

बिना भय एवं तनाव के अपनी समस्या बताने हेतु प्रभावी संवाद के संबंध में दी गई जानकारी

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि पीड़िताओं एवं बच्चों से वार्तालाप के समय पुलिस कर्मियों द्वारा ऐसा व्यवहार एवं वातावरण स्थापित किया जाए, जिससे वे बिना किसी भय, संकोच अथवा तनाव के अपनी समस्या एवं घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दे सकें। उनकी बात को धैर्यपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक सुना जाए तथा संवाद के दौरान उनकी भावनात्मक स्थिति एवं आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिस कर्मियों की भूमिका एवं कर्तव्यों के संबंध में किया गया प्रशिक्षित

प्रशिक्षण के दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिस कर्मियों की भूमिका एवं कर्तव्यों के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि किसी भी घटना की सूचना पर सर्वप्रथम मौके पर पहुंचने वाले पुलिस कर्मी द्वारा पीड़िता अथवा बच्चे की सुरक्षा एवं सहायता को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उन्हें आवश्यक सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से विकसित किया गया प्रभावी संवाद कौशल

प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक क्रियाकलापों एवं विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित अभ्यास के माध्यम से पुलिस कर्मियों को पीड़िताओं एवं बच्चों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। व्यवहारिक अभ्यासों के माध्यम से यह समझाया गया कि विभिन्न परिस्थितियों में पीड़िता एवं बच्चे से किस प्रकार संवाद स्थापित किया जाए, उन्हें सहज किया जाए तथा बिना किसी भय अथवा मानसिक दबाव के आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए।

प्रतिभाग-

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के **कुल 81 पुलिस कर्मियों** द्वारा प्रतिभाग किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 24.07.2026

विशेष प्रकोष्ठ के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन रिट याचिका **क्रि०मि०रिट पिटीशन 8810/2023 अनिल कुमार खन्ना बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य** में दिनांक 02.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा दिनांक 08.12.2023 को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित करते हुए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसमें जनपद लखनऊ में अधिवक्ताओं के वेश में आपराधिक तत्वों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर दूसरों की भूमि/भवन/प्लाट/मकान/प्रॉपर्टी आदि पर अवैध तरीके से कब्ज़ा और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तथाकथित अधिवक्ताओं के विरूद्ध प्राप्त हो रही शिकायतों की मॉनीटरिंग की जाती है।

तत्समय माननीय न्यायालय द्वारा इस सेल के प्रचलित होने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये थे व इस सम्बन्ध में पूर्व में भी समाचार पत्रों , सोशल मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है। वर्तमान में अधिवक्ता वेशधारी आपराधिक तत्वों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हो रही है इसलिए विशेष प्रकोष्ठ के गठन सम्बन्धी सूचना का पुनः व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है।

माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) लखनऊ परिसर में कक्ष संख्या 36 में उप निरीक्षक स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में प्रकोष्ठ गठित किया गया है। उप निरीक्षक रामेश्वर तिवारी को प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है।

कक्ष संख्या 36 में दर्ज करा सकते है शिकायत:- यह प्रकोष्ठ **संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था के कार्यालय परिसर में उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में कक्ष संख्या 36 में गठित हुआ है। कार्यालय में नियुक्त उप निरीक्षक श्री रामेश्वर तिवारी का मोबाइल नम्बर 9454634500 है।**

अधिवक्ताओं के वेश में अपराधियों द्वारा की जा रही आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध यदि किसी व्यक्ति को अपनी समस्या रखनी हो, तो वह इस कार्यालय में उपस्थित होकर वह अपना आवेदन दे सकते है। थाना स्तर पर आवेदन देने व कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था पूर्वत लागू रहेगी।